न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला -बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रक.कमांक—1010 / 2010 संस्थित दिनांक - 22.12.2010

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा तहसील-बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

/ / <u>विरूद</u>

1-मेघराज, पिता हरलाल गौतम, उम्र 28 वर्ष, जाति पंवार, साकिन-बोदा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) 2-हरलाल गौतम पिता झाडू, उम्र 65 वर्ष, जाति पंवार, साकिन–बोदा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) 3-ज्ञाननबाई उर्फ ज्ञानीबाई, पति हरलाल गौतम, उम्र 60 वर्ष, जाति पंवार, साकिन-बोदा थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.) 4-सुशील पिता मेहतर उम्र, 36 वर्ष, जाति पंवार, साकिन-डोंगरिया थाना बिरसा, जिला बालाघाट (म.प्र.)

// <u>निर्णय</u> // (आज दिनांक— 21/07/2014 को

- आरोपीगण के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323/34, 324 / 34, 506 (भाग-1) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-01 / 12 / 2010 को सुबह $10\frac{1}{2}$ बजे स्थान ग्राम बोदा थाना बिरसा, जिला बालाघाट में रूपेश की दुकान के पास प्रार्थी संतराम को मादरचोट की अश्लील गाली देकर प्रार्थी एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया एवं आहत संतराम को हाथ-मुक्कों से मारपीट कर छाती के बांयी ओर चोट पंहुचाकर एवं भुजा पर दांत से कांटकर स्वेच्छया उपहति कारित की तथा प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से क्षिति कारित करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- अभियोजन पक्ष का सार दिनांक-01/12/2010 को सुबह $10\frac{1}{2}$ बजे ग्राम बोदा थाना बिरसा अन्तर्गत बोरिंग सुधारने वाले आये थे। बोरिंग कुंआ के पानी निकलने वाली नाली पर आरोपी हरलाल गौतम ने आठ-दस दिन पूर्व खखरी (लकड़ी झाड़) रख दिया था, जिससे पत्तियों के

झड़ने से बोरिंग कुंआ के पास गन्दगी हो गई थी तो आहत संतराम ने आरोपी मेघराज को बोला कि यहां से खखरी उठाकर अपने आहता में ले जाओ तो इस पर आरोपी मेघराज ने फरियादी को बोला की मादरचोद मैं नहीं ले जाता तेरे बाप का नल है और आहत संतराम को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया तथा उसकी बांये भुजा एवं बांये सीने पर दांतो से काट लिया और आरोपी हरलाल ने उसे हाथ से दबा लिया, आरोपी ज्ञानबाई और आरोपी सुशील ने उसे अश्लील गालियाँ दिये और देख लेने की धमकी देने लगे, आरोपी सुशील ने उसके गाल पर मारा और गला दबाने लगा। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी / आहत संतराम के द्वारा थाना बिरसा में की थी, जिस पर पुलिस के द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक—137 / 10 एवं धारा—294, 323, 324, 506, 34, भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, आहत का मेडिकल परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को भा.द.वि. की धारा—294, 323/34, 324/34, 506(भाग—1) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। विचारण के दौरान आहत संतराम ने आरोपी सुशील से राजीनामा कर लेने के फलस्वरूप आरोपी सुशील के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा—294, 323/34, 506(भाग—1) के अपराध का शमन किया गया तथा शेष धारा—324/34 के अंतर्गत अपराध का विचारण पूर्ण किया गया। आरोपीगण ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फॅसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

- 1. क्या आरोपीगण ने उन्होंने दिनांक-1/12/2010 को सुबह $10\frac{1}{2}$ बजे स्थान ग्राम बोदा थाना बिरसा, जिला बालाघाट में रूपेश की दुकान के पास प्रार्थी संतराम को मादरचोट की अश्लील गाली देकर प्रार्थी एवं अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित किया ?
- 2. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी/आहत संतराम को हाथ मुक्को से मारपीट कर छाती के बांयी ओर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
- 3. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर सह आरोपीगण के साथ मिलकर सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में प्रार्थी/आहत संतराम को भुजा पर दांत से काटकर स्वेच्छया उपहित कारित की ?

4. क्या आरोपीगण ने उक्त घटना, दिनांक, समय व स्थान पर प्रार्थी को संत्रास कारित करने के आशय से क्षति कारित करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

विचारणीय बिन्दुओं का सकारण निष्कर्ष :-

- प्रार्थी / आहत संतराम (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है एवं घटना वर्ष 2010 की सुबह करीब 10:00 बजे ग्राम बोदा इमनटोला हेण्ड पम्प के पास की है। उक्त हेण्ड पम्प में गन्दा पानी भरा हुआ था, गांववाली ने उसे साफ करवाने के लिए बोला था क्योंकि मैं गांव का मुक्कदम हूँ तो उसने हरलाल को उसके द्वारा हेण्ड पम्प के पास रखी खखरी (लकड़ी) को अपने घर ले जाने के लिए कहा था तो हरलाल ने उसे कहा कि तेरे बाप की हाता (जमीन) नहीं है जो वह उसे अपने घर ले जाये, तभी मेघराज अपने घर तरफ से आया और उसे गिरा दिया और बांये भुजा पसली में दांत से काट दिया था और पीछे की तरफ भी काट दिया था तभी मेघराज का मामा सुशील कुमार आया और बांये गाल में झापड़ मार दिया तभी मेघराज की मां ज्ञाननबाई भी आ गई थी और फिर उन चारों ने मिलकर मारपीट की थी। उस बीच में गांव का हेमराज चौहान और महेश ने आकर बीच बचाव किया था। उसने उक्त घटना की रिपोर्ट थाना बिरसा में की थी, जो प्रदर्श पी-1 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। उसका ईलाज बिरसा शासकीय अस्पताल में हुआ था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने उसकी रिपोर्ट एवं पूलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभाष होना प्रकट नहीं होता है।
- 6— महेश मरकाम (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है तथा प्रार्थी संतराम उसके गांव का पटेल है। घटना लगभग तीन वर्ष पूर्व दिन के लगभग चार बजे की है। आरोपी मेघराज, हरलाल और सुशील, संतराम को मार रहे थे, तब वह गया था। उनके बीच में हेण्ड पम्प के पास रखी खखरी (लकड़ी) को लेकर विवाद हो रहा था। आरोपी और प्रार्थी के अलग—अलग होने के बाद वह घर चला गया था। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसके सामने आरोपी मेघराज ने प्रार्थी संतराम को दांये भुजा एवं बांये सीने पर दांत से काट दिया था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी ज्ञानीबाई भी वहां पर आ गई थी और गन्दी—गन्दी गालियां दे रही थी और कह रही थी कि पटेल ज्यादा बनता है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपीगण, फरियादी के अलावा गांव के 10—12 लोग भी उपस्थित थे जो एक—दूसरे को गाली—गलौच कर रहे थे तथा कौन किसको गाली दे रहा था, कौन

किसको मार रहा था वह नहीं बता सकता। इस प्रकार साक्षी के सम्पूर्ण कथन में परस्पर विरोधाभाष है तथा साक्षी के कथन से अभियोजन पक्ष को महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त नहीं होता।

- 7— हेमलाल (अ.सा.5) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं आहत संतराम को पहचानता है तथा घटना वर्ष 2010 को दिन के 8—9 बजे ग्राम बोदा के पास की है। सरकारी बोरिंग पर आरोपीगण ने लकड़ी की झाड़िया रख दी थी, जिस पर संतराम ने उन्हें मना किया उसी बात पर से आरोपीगण और संतराम के बीच झुमा—झपटी हो गई। आरोपीगण ने संतराम को मारपीट कर चोट पहुंचाई। उन लोगों ने बीच—बचाव कर अलग किया। पुलिस ने पूछताछ कर उसका बयान लिया था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण मे यह स्वीकार किया है कि वह घटना स्थल से काफी दूरी पर खड़ा था तथा पहले किसने—किसको मारा वह नहीं बता सकता। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि संतराम की पूर्व से दुश्मनी होने के कारण उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट लिखायी। इस प्रकार साक्षी ने अपनी साक्ष्य में परस्पर विरोधाभाषी कथन किये है, यद्यपि उसकी साक्ष्य के यह कथन अखण्डित रहे है कि आरोपीगण ने संतराम को मारपीट कर चोट पहुंचाया था।
- 8— देवीलाल (अ.सा.६) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण एवं फरियादी संतराम को पहचानता है। उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उससे कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपीगण ने उसके सामने आहत संतराम के साथ मारपीट की एवं गाली—गलौच कर जाने से मारने की धमकी दी थी। साक्षी को उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी—8 पढ़कर सुनाये जाने पर कथन से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।
- 9— डॉ०एम०मेश्राम० (अ.सा.३) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—01/12/2010 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के सैनिक सोनूसिंह कमांक—198 द्वारा आहत संतराम पिता दमडी उम्र लगभग 30 वर्ष निवासी बोदा को उसके समक्ष मुलाहिजा परीक्षण हेतु लाया गया था। उक्त आहत का परीक्षण करने पर उसने आहत के बांयी ऊपरी भुजा के बाहर की ओर तथा छाती के बांयी ओर एक—एक अर्ध चंद्राकार आकृति की चमडी के उतक क्षतिग्रस्त थे। साक्षी के मतानुसार आहत को आयी चोट दांतो के काटने से आना प्रतीत होती है, जो साधारण प्रकृति की है। उक्त परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी—7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इस प्रकार साक्षी ने अपनी चिकित्सीय अभिमत में घटना के समय आहत संतराम को दांत से कांटने पर साधारण उपहित कारित होने की पृष्टि की है।

- 10— अनुसंधानकर्ता रामिकशोर (अ.सा.4) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—01.12.2010 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमांक—137 / 10, धारा—294, 323, 324, 506, 34 भा.दं.वि. की डायरी विवेचना हेतु सौपी गई। उक्त दिनांक को ही उसने घटनास्थल पर जाकर प्रार्थी संतराम चौहान की निशानदेही पर मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 तैयार किया था। उक्त दिनांक को प्रार्थी संतराम के कथन लेखबद्ध किये थे। दिनांक—08.12.2010 को साक्षी महेश, हेमलाल, देवीलाल के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। दिनांक—17.12.2010 को आरोपी मेघराज हरलाल गौतम, सुशील पटले तथा ज्ञाननबाई को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी—3 से लगायत प्रदर्श पी—6 तैयार किया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार ने साक्षी ने प्रकरण में उसके द्वारा की गई सम्पूर्ण अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।
- 11— अभियोजन की ओर से महत्वपूर्ण साक्षीगण के रूप में फरियादी संतराम (अ.सा.1), चक्षुदर्शी हेमलाल (अ.सा.5) ने अभियोजन मामले का इस सीमा तक समर्थन किया है कि आरोपीगण ने घटना के समय आहत संतराम को मारपीट की थी। फरियादी संतराम (अ.सा.1) ने आरोपी मेघराज के द्वारा दांत से कांटने के कारण उसे चोट कारित होना बताया है, जिसका समर्थन चिकित्सीय साक्षी डॉ०एम०मेश्राम० (अ.सा.3) ने अपनी चिकित्सीय अभिमत में किया है।
- 12— विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी फरियादी संतराम एवं चक्षुदर्शी साक्षी हेमलाल ने अभियोजन मामले का समर्थन किया है। आहत संतराम दांत से कांटने से आयी चोट के संबंध में चिकित्सीय साक्षी ने भी साधारण उपहित कारित होने की पुष्टि की है। अनुसंधानकर्ता ने अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत उक्त महत्वपूर्ण साक्षीगण के कथन अखण्डित रहे है तथा उनकी साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभाष नहीं है। ऐसी दशा में उक्त साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।
- 13— फरियादी संतराम को घटना के समय सभी आरोपीगण के द्वारा मारपीट किये जाने के संबंध में स्वयं फरियादी संतराम (अ.सा.1) के कथन अखण्डित रहे है, जिसका समर्थन चक्षुदर्शी हेमलाल (अ.सा.5) ने भी अपनी साक्ष्य में किया है। इस प्रकार घटना के समय सभी आरोपीगण ने आहत संतराम को साधारण उपहित कारित करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत संतराम को उपहित कारित करने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित है। घटना के समय आहत संतराम को आरोपीगण के द्वारा निश्चित रूप से उपहित कारित करने का आशय था और उक्त मारपीट किये जाने के समय वह इस संभावना को जानते थे कि उनके कृत्य से आहत

संतराम को उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपीगण का उक्त कृत्य स्वैच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है।

14— प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य स्पष्ट है कि घटना के समय आहत संतराम से आरोपीगण का मामूली विवाद हुआ और उसके पश्चात् सर्वप्रथम आरोपी मेघराज ने आहत संतराम को दांत से उसकी बांयी भुजा की पसली में और पीठ में कांट दिया था, जिसके पश्चात् अन्य आरोपीगण ने भी आहत संतराम को मारपीट की। उक्त सम्पूर्ण तथ्य से यह प्रकट होता है कि केवल आरोपी मेघराज के द्वारा ही दांत से संतराम को कांटकर उपहित कारित की गई थी, जो कि खतरनाक साधन व वेधन के रूप में दांत का उपयोग कर साधारण उपहित कारित किये जाने की श्रेणी में आता है। आहत संतराम को आरोपी मेघराज द्वारा दांत से कांटने की उपहित कारित करते समय आरोपी मेघराज के अलावा अन्य आरोपीगण के द्वारा कियान्वित सहयोग प्रदान किये जाने का तथ्य प्रकट नहीं होता है, फलस्वरूप उक्त उपहित के लिए केवल आरोपी मेघराज को ही उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। चूंकि अन्य आरोपीगण घटना के समय आरोपी मेघराज के द्वारा आहत संतराम को बांत से कांटकर उपहित कारित करने पश्चात् मौके पर आये और फिर सभी आरोपीगण ने आहत संतराम को मारपीट की। ऐसी दशा में आरोपी मेघराज, हरलाल व ज्ञाननबाई उर्फ ज्ञानीबाई के द्वारा आहत संतराम को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित करने हेतु उत्तरदायी है।

अभियोजन की ओर से किसी भी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में घटना के समय आरोपीगण के द्वारा फरियादी संतराम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर क्षोभ कारित किये जाने के संबंध में स्पष्ट कथन नहीं किये है। इसके अलावा अभियोजन साक्षीगण ने आरोपीगण के द्वारा फरियादी संतराम को देख लेने की धमकी या क्षित कारित करने की धमकी देने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किये है। इस प्रकार आरोपीगण के द्वारा घटना के समय फरियादी संतराम को क्षोभ कारित करने एवं आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में साक्ष्य पेश न होने के कारण यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपीगण ने फरियादी संतराम को कथित रूप से क्षोभ या आपराधिक अभित्रास कारित किया।

16— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया हैं कि आरोपीगण ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में फरियादी संतराम को अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से क्षिति कारित करने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अभियोजन ने यह तथ्य युक्ति—युक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी मेघराज ने खतरनाक साधन व वेधन के रूप में दांत का उपयोग कर आहत संतराम को स्वैच्छया उपहित कारित की और आरोपी मेघराज, हरलाल व ज्ञाननबाई आहत संतराम को उपहित कारित करने का सामान्य आशय बनाकर उसके अग्रसरण में आहत संतराम को हाथ—मुक्के से मारपीट कर स्वैच्छया उपहित कारित की।

अतएव आरोपी मेघराज, हरलाल एवं ज्ञाननबाई उर्फ ज्ञानीबाई को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—294, 506 (भाग—1) के अपराध से तथा आरोपी सुशील, हरलाल व ज्ञाननबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324/34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है। आहत संतराम को उपहित कारित करने हेतु आरोपी मेघराज को भारतीय दण्ड़ संहिता की धारा—324, 323/34 के अंतर्गत तथा आरोपी हरलाल व ज्ञाननबाई को धारा—323/34 के अन्तर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

17— प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपीगण को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

<u>पश्चात</u> : /

18— आरोपीगण एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड़ के प्रश्न पर सुना गया। आरोपीगण की ओर से यह निवेदन किया है कि उनका यह प्रथम अपराध है तथा उनके द्वारा किया गया अपराध गंभीर प्रकृति का नहीं है। आरोपी हरलाल एवं ज्ञाननबाई कमशः 65 वर्ष एवं 60 वर्ष के वृद्ध व्यक्ति है तथा आरोपी मेघराज उनका एकमात्र पुत्र है, जो कि उनका भरण—पोषण का एकमात्र सहारा है। आरोपीगण नियमित रूप से प्रकरण में वर्ष 2010 से उपस्थित होते रहे है। अतएव उन्हें केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

अारोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नही है। आरोपीगण नियमित रूप से प्रकरण में वर्ष 2010 से उपस्थित होते रहे है व प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति के अनुसार आरोपीगण को केवल अर्थदण्ड से दिण्डत किए जाने से न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव है। आरोपी मेघराज को एक ही आहत संतराम को उपहित कारित करने हेतु भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 एवं धारा—323/34 भा.द.वि. के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया गया है, किन्तु भारतीय दण्ड संहिता की धारा—71 के अंतर्गत जहाँ कि कई कार्य, जिसमें से स्वयं एक से या स्वयं एकाधिक से अपराध गठित होता है, मिलकर भिन्न अपराध गठित करते है, वहाँ अपराधी को उससे गुरूत्तर दण्ड से दिण्डत न किया जावेगा, जो ऐसे अपराधों में से किसी भी एक लिए, वह न्यायालय जो उसका विचारण करे उसे दे सकता है। उक्त विधिक प्रावधान के प्रकाश में आरोपी मेघराज को गुरूत्तर अपराध हेतु केवल भारतीय दण्ड संहिता की धारा—324 के अंतर्गत दिण्डत किया जाना पर्याप्त होगा। अतएव आरोपीगण मेघराज, हरलाल एवं ज्ञाननबाई उर्फ ज्ञानीबाई को निम्नानुसार दिण्डत किया जाता है:—

<u>आरोपी</u>	<u>धारा</u>	कारावास की	<u>त्र अर्थदंड</u>	व्यतिक्रम की दशा में
		<u>सजा</u>	20.1	<u>कारावास</u>
मेघराज	धारा–324 भा.दं.वि.	न्यायालय उठने	2,000 / —रूपये	एक माह का सादा
		तक की सजा		कारावास
हरलाल	धारा-323 / 34	न्यायालय उठने	1,000 / —रूपये	एक माह का सादा
	भा.दं.वि. 🌋	तक की सजा		कारावास
ज्ञाननबाई	धारा-323 / 34	न्यायालय उठने	1,000 / —रूपये	एक माह का सादा
उर्फ	भा.द.ब्रि.	तक की सजा		कारावास
ज्ञानीबाई	10 B			

20— आरोपीगण के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

21— आरोपीगण अभिरक्षा में निरूद्व नहीं रहे है। अतः उक्त के संबंध में धारा–428 द.प्र.सं. का पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

22— अप्रकरण में अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मिज.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट